

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग,**  
**महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर**

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक २५.०५.१८


**क्रमांक एफ १०-२/२०१५/१६ :-** राज्य शासन एतद्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना बाबत अधिसूचना क्रमांक एफ १०-२/२०१५/१६, दिनांक ११.०३.२०१५ की कंडिका ३(३.१) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है :-

**३. योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-**

३.१ आवेदिका/आवेदक को विवाह के ०६ माह के भीतर विवाह प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा।

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(तीरथ प्रसाद लडिया)  
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग  
नया रायपुर, दिनांक २५.०५.१८


**पृष्ठांकन एफ १०-२/२०१५/१६**

**प्रतिलिपि :-**

१. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)।
२. निज सहायक, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)।
३. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ०ग०)।
४. अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ०ग०)।
५. कलेक्टर जिला- ..... (छ०ग०)।
६. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ०ग०)।
७. नोडल अधिकारी, छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ०ग०)।
८. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय ..... (छ०ग०)।
९. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ..... (छ०ग०)।
१०. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ०ग०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी १०० प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

११. गार्ड फाईल।

  
अवर सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग